Index Copernicus 2016: 58.87, UGC Approved Journal
ISSN: 2455-9040, Impact Factor: RJIF 5.22
Indexed Journal, Refereed Journal, Peer Reviewed Journal
Online and Print Journal, Multidisciplinary Journal

Volume 3 Issue 1 Jan - Apr 2018

National Journal of Multidisciplinary Research and Development

International Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040
Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 890-892

आन्तरिक–आपात्काल : प्रेस एवं संवैधानिक संशोधन तथा मूल अधिकार

डॉ० रणवीर सिंह ठाकुर
अतिथि व्याख्याता, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग, डॉ0 हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान लागू आन्तरिक–आपात्काल में सरकार को प्रेस की स्वतत्रता पर गंभीर आघात पहुँचाया था जो प्रेस पर सेंसरशिप के रूप में था। अखबार सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का समाचार नहीं छाप सकते थे। प्रेस को सरकारी नीतियों के समर्थन में ही कुछ प्रकाशित करने का अधिकार था। रेडियो तथा टेलीविजन सरकार के मुखबिर बन गए। लेखकों तथा बुद्धिजीवियों ने इंदिरा गाँधी तथा संजय गाँधी की प्रशंसा के पुल बाँधना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। 25 जून को कुछ अखबारों ने अपने संपादकीय खाली छोड दिए या उन्हें काला कर दिया जाता था। 25 जून की ही रात्रि में आपात्काल की घोषणा के पूर्व भी सरकार ने दिल्ली के समाचार पत्रों के प्रेस की विद्युत आपूर्ति काट दी थी तथा अनेकों शहरों से प्रकाशित होने वाले समाचार–पत्रों के कार्यालयों पर छापा मारकर एक प्रकार का सेंसरशिप लागू कर दिया था जिससे लोग उस रात्रि में किये गए विपक्षी राजनीतिक नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी तथा सरकार की अन्य कार्यवाहियों के बारे में दूसरे दिन जानकारी प्राप्त न कर सकें।[1] सरकार ने प्रेस को निर्देश दिए थे कि वे ऐसा कोई भी समाचार प्रकाशित न करें जिससे सरकार के प्रति जनता में उदासीनता पैदा हो अथवा सरकार की प्रतिष्ठा पर आघात पहुँचे। साथ ही ऐसे समाचारों को रोकने के निर्देश भी दिए गए जिनसे सरकार विरोधी जनसभाओं के जारी होने का खतरा या आशंका हो या जनता में सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न होने की संभावना हो।

संसद की कार्यवाहियों तथा राज्यों में विधानमंडलों की कार्यवाहियों को बिना सेन्सर, तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रकाशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया साथ ही न्यायालयों की कार्यवाहियों और नागरिक स्वतंत्रताओं से सम्बन्धित न्यायालयों के निर्णयों के प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, यदि कोई समाचार पत्र सरकार के सेन्सर निर्देशों की अवहेलना करता था तो समाचार प्रकाशित होने के पूर्व ही उस समाचार पत्र को पृष्ठ–दर–पृष्ठ सेंसर के दौर से गुजरना पडता था और इस प्रकार से उसे अनावश्यक रूप से उत्पीड़ित किया जाता था। इसका उद्देश्य था कि जनता को सरकार की निरंकुश गतिविधियों की जानकारी प्राप्त न हो और सरकार अपने विरूद्ध जन आदोलनों से बची रहे।[2]

सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री विद्याचरण शुक्ल ने 28 जून, 1975 को दिल्ली में समाचार पत्रों को यह चेतावनी दी कि यदि वे अपने समाचारों को सेंसर नहीं कराते हैं तो उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जावेगा। उनकी इस चेतावनी के परिणामस्वरूप, बी.बी.सी. लंदन को 23 जुलाई, 1975 को नयी घोषणाओं को अमान्य करार देते हुए दिल्ली से अपने कार्यालयों को बंद कर दिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सूचना एजेन्सी ने भी 12 अगस्त, 1975 को 'वायस ऑफ अमेरिका' के संवाददाताओं को वापिस बुला लेने की धमकी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा आरोपित कठोर परिस्थितियों का वह स्वीकार नहीं कर सकती है।[3]

आपात्काल में सरकार ने समाचार एजेंसियों को आघात पहुँचाते हुए 'प्रेस–काउँसिल' को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी को भंग कर दिया[4] और उसकी जगह पर समाचार की चार विभिन्न एजेन्सियां – पी.टी.आई., यू.एन.आई., हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती के अलग–अलग अस्तित्व को समाप्त कर उसकी जगह पर एक नयी एजेन्सी 'समाचार' का गठन कर दिया गया। इस कार्यवाही से देश में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। यहाँ तक कि न्यायालयों के निर्णयों के प्रकाशनों पर भी प्रतिबंध लग गया। विदेशी समाचार माध्यमों पर लगे सेंसर का गंभीर विरोध हुआ तब मजबूरी में सरकार को बाध्य होकर विदेशी प्रेस की स्वतंत्रता बहाल करनी पडी।[5]

आंतरिक आपात्काल के दौरान नागरिकों की सम्पत्ति के मूल अधिकारों के नियमन से सम्बन्धित एक अन्य कानून के विधायन के लिए विधेयक तैयार किया गया, जिसे शहरी भूमि (सीलिंग एवं नियमन) विधेयक 1976 के नाम दिया गया।[6] यह विधेयक लोकसभा में 2 फरवरी एवं राज्यसभा में 5 फरवरी 1976 को पारित होकर अधिनियम बना। इसमें विहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए शहर में अपने नाम से जमीन रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई जिसके अनुसार दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता एवं चेन्नई में प्रति व्यक्ति के लिए 500 वर्ग मीटर, हैदराबाद, पूना, अहमदाबाद, बैंगलोर और कानपुर में 1000 मीटर, तीन लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले 35 शहरों में 1500 वर्ग मीटर तथा 29 ऐसे शहरों में जहाँ जनसंख्या 2 से 3 लाख थी 2000 वर्ग मीटर अधिकतम जमीन रखने की सीमा निर्धारित की गई इसके अतिरिक्त जमीन का मुआवजा देकर जमीन सरकार द्वारा अधिगृहीत किये जाने की व्यवस्था भी अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित कर दी गई।

संवैधानिक संशोधन तथा मूल अधिकार

आन्तरिक आपात्काल की घोषणा के दौरान 38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित किया गया। इस संविधान संशोधन का उद्देश्य विपक्षी नेताओं, सांसदों, विधायकों आदि को निरंकुश तरीके से निरूद्ध करने हेतु वैधानिकता प्रदान करना था। इस संविधान संशोधन के पूर्व तक राष्ट्रपति, अनुच्छेद 359 के अतर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपात्काल में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिये मात्र न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को ही निलम्बित कर सकता था परन्तु 38वें संविधान संशोधन ने उसे यह शक्ति प्रदान कर दी जिसका प्रयोग करके वह आपात्काल में संविधान के भाग तीन में वर्णित किसी या सभी अधिकारों को